The Gazette of India

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1549]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2010/श्रावण 7, 1932 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2010/SHRAVANA 7, 1932

No. 1549]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2010

का.आ. 1855(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 29 जुलाई, 2010 के दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 19 से 21 (दोनों शामिल), धारा 23 से 29 (दोनों शामिल), धारा 31 से 35 (दोनों शामिल), धारा 48 से 80 (दोनों शामिल), धारा 89, 94 से 98 (दोनों शामिल) और धारा 100 के उपबंध प्रभावी होंगे ।

> [फा. सं. एल-303/डीएडीजी/2010] विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2010

S.O. 1855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 29th day of July, 2010 as the day on which the provisions of Sections 19 to 21 (both inclusive), Sections 23 to 29 (both inclusive), Sections 31 to 35 (both inclusive), Sections 48 to 80 (both inclusive), Section 89, Section 94 to 98 (both inclusive) and Section 100 of the said Act, shall come into force.

[F. No. L. 303/DADG/2010]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.